अमन समीर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 03.10.2020 को सम्पन्न निर्वाची पदाधिकारी एवं विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी के साथ निर्वाचन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी में संधारित।

कार्यवाही

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के तैयारियों के संबंध में निर्वाची पदाधिकारी एवं विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी के साथ निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

(1) विधानसभावार नामांकन पत्र वितरण एवं अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन किये जाने की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा दिनांक 03.10.2020 तक NR कटने एवं नामांकन की स्थिति निम्नवत् बताई गई–

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	03.10.2020 तक कुल कटे NR	03.10.2020 तक कुल नामांकन
1	200–बक्सर	06	00
2	2002–राजपुर	02	00
3	201–डुमरांव	05	00
4	199–ब्रह्मपुर	02	00

सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि नामांकन पत्रों एवं अन्य कागजातों के सत्यापन हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) बैठक में बताया गया कि दिनांक 04.10.2020 को सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का समीक्षा बैठक आहूत है। उक्त बैठक में सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के अलावे सभी अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष भी बैठक उपस्थित रहेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि अपने अनुमण्डल अन्तर्गत उक्त पदाधिकारियों को अपने स्तर से सूचित करते हुए बैठक में ससमय उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दिनांक 04.10.2020 के बैठक हेतु सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही सभी अंचलों में हाल के दिनों में हुई घटनाओं, कब्रिस्तान एवं भूमि संबंधी विवाद, भेद्य मतदान केन्द्रों, भेद्य टोलों आदि के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करायेंगे। इसके अतिरिक्त सभी घटनाओं का पुराना इतिहास तैयार कराने का निदेश दिया गया। सिमरी प्रखण्ड क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस के बिक्रय के संबंध में पूर्व में मामला प्रकाश में आया था। निर्वाची पदाधिकारी, ब्रह्मपुर इस संबंध में भी प्रतिवेदन तैयार करायेंगे तथा सतर्कता बरतेंगे। सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि निर्वाचन से संबंधित टॉल फ्री दूरभाष संख्या 1950 के अधिक–से–अधिक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु सेक्टर पदाधिकारी के साथ पेंटर की प्रतिनियुक्ति करेंगे जो प्रमुख स्थलों पर टॉल फ्री दूरभाष संख्या 1950 के बारे में पेंटिंग करेंगे।

(3) अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दियारा क्षेत्र के प्रति विशेष ध्यान देंगे। रोस्टर बनाकर शराब के अवैध बिक्री वाले क्षेत्रों छापेमारी कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में थानाध्यक्ष को भेजेंगे तथा उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे किन–किन क्षेत्रों में भ्रमण तथा छापेमारी की गई। सीमावर्ती क्षेत्र के

मतदान केन्द्र काफी संवेदनशील है। सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे मतदान केन्द्रों के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करेंगे ताकि किसी प्रकार से स्वच्छ मतदान प्रभावित नहीं हो। सभी निर्वाची पदाधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगे कि उनके क्षेत्र में शराब का आवागमन नहीं हो।

दियारा क्षेत्र में किन–किन स्थलों से शराब आने की संभावना है तथा किन स्थलों पर आउटपोस्ट बनाये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष से सूची प्राप्त करेंगे। बैठक में यह स्पष्ट तौर से बताया गया कि यदि दूसरे जिलों में भी शराब की खेप पकड़ी जाती है तथा जाँच में यह पता चलता है कि बक्सर के किसी क्षेत्र से होकर शराब गया है तो संबंधित निर्वाची पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। अतः सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने क्षेत्र पर नजर रखेंगे।

(4) सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ऑल वूमेन मतदान केन्द्रों की सूची दिनांक 4.10.2020 की संध्या तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(5) सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं कोषांगों के पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि मतदानदल के कार्य से मुक्ति हेतु सूची अविलम्ब भेजेंगे तथा इस क्रम में सुनिश्चित करेंगे कि यह संख्या काफी कम हो एवं प्राथमिकता क्रम में हो। इस संबंध में अवगत कराया गया कि रेंडमाईजेशन के उपरान्त जो कर्मी बच जाएंगे उन्हें आवश्यकतानुसार निर्वाची पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यालय/कोषांग में प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

(6) बैठक में बताया गया कि दिनांक 05.10.2020 से प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है। सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रशिक्षण हेतु तैयारियों की संबंधितों के साथ समीक्षा भी करना सुनिश्चित करेंगे।

(7) दिनांक 04.10.2020 को आयोजित सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के बैठक एवं C-Vigil के प्रशिक्षण हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर PPT तैयार करायेंगे। प्रशिक्षण स्थल पर उप निर्वाचन पदाधिकारी को TV आदि भी लगाये जाने का निदेश दिया गया ताकि PPT के माध्यम से बेहतर ढंग से प्रशिक्षण हो सके।

(8) नोडल पदाधिकारी, पोस्टल बैलेट कोषांग को निदेशित किया गया कि पर्याप्त संख्या में प्रपत्र–12 डी0 सभी निर्वाची पदाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने BLOs के माध्यम से जितने प्रपत्र 12 डी0 फार्म भेजे गये उसकी पावती प्राप्त कर संधारित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(9) कुल मतदान केन्द्रों की संख्या का 10 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग कराया जाना है। इस क्रम में निर्वाची पदाधिकारी, बक्सर को 80, निर्वाची पदाधिकारी, राजपुर को 25, निर्वाची पदाधिकारी, डुमरांव को

60 एवं निर्वाची पदाधिकारी, ब्रह्मपुर को 20 मतदान केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किया गया कि निर्वाची पदाधिकारी से मतदान केन्द्रों सूची प्राप्त होने पर आई0टी0 सहायक के माध्यम से मतदान केन्द्रों का वेबकास्टिंग हेतु जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। आई0टी0 मैनेजर एवं DIO को वेबकास्टिंग कराये जाने हेतु सभी आवश्यक तैयारी कराये जाने का निदेश दिया गया।

(10) उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी कार्यालय प्रधान को पत्र निर्गत करायेंगे कि निर्वाचन कार्य के मद्देनजर अपने कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का अवकाश उपभोग स्वीकृति जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही देंगे।

(11) उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया कि कोविड–19 के जाँच कार्यो का अनुश्रवण करेंगे। अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि कोविड–19 के जाँच करने वाले सभी लैब टेक्नीशीयन के साथ बैठक कर जाँच के संबंध में आवश्यक दिशा निदेश देना सुनिश्चित करेंगे।

(12) सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि सामग्री कोषांग को मतदानदल हेतु कोविड–19 से सुरक्षा हेतु मेडिकल किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी मतदान केन्द्रों का सेनेटाईजेशन कराया जाना है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि सेनेटाजईजेशन हेतु प्रोटोकॉल बनाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सेनेटाईजेशन हेतु माईक्रो प्लानिंग बनाये जाने का निदेश दिया गया। सेनेटाईजेशन कार्य का फोटोग्राफी, मतदान केन्द्र संख्या के साथ कराये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही सेनेटाईजेशन के अन्तर्गत हुए कार्य का डक्मेंटेशन कराये जाने का निदेश दिया गया।

(13) वाहन कोषांग के कार्यो के समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पर्याप्त संख्या में बस की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतदान कार्य में संलग्न सभी वाहनों को सेनेटाईज कराये जाने हेतु प्रोटोकॉल बनाना सुनिश्चित करेंगे।

(14) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिन स्थलों पर अर्द्धसैनिक बल ठहरेंगे, वहाँ नियमित रूप से साफ–साफ एवं सेनेटाईजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में यह भी निदेशित किया गया कि उक्त कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु किसी कर्मी की प्रतिनियुक्ति करते हुए जिम्मेवारी निर्धारित कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त नहीं हो सके।

(15) नोडल पदाधिकारी, EVM कोषांग को निदेशित किया गया कि EVM प्राप्ति काउन्टर पर सेनेटाईजेशन हेतु स्प्रे मशीन की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी को VVPAT का रैंडिमाईजेशन कराये जाने का निदेश दिया गया। नोडल पदाधिकारी, EVM कोषांग के द्वारा बताया गया कि EVM प्राप्ति एवं वितरण स्थल पर वर्षा हो जाने के कारण किचड़ हो जाता है। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को आवश्यक व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

(16) नोडल पदाधिकारी, अर्द्धसैनिक बल कोषांग को निदेशित किया गया कि अर्द्ध सैनिक बलों के ठहरने हेतु कार्य योजना तैयार करायेंगे। अर्द्धसैनिक बल में कितने लोग आ रहे है तथा कितने कमरों की आवश्यकता होगी। अलावे किचेन, डायनिंग रूम कार्यालय, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। अर्द्ध सैनिक बलों के पदाधिकारियों के लिए अलग से कमरा की व्यवस्था की जानी है। निदेशित किया गया कि जिन ठहराव स्थल पर पर्याप्त संख्या में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा नहीं है उसकी सूची कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को भेजते हुए उक्त कार्य कराये जाने का निदेश दिया गया।

(17) नोडल पदाधिकारी, बज्रगृह को निदेशित किया गया कि बज्रगृह का भ्रमण कर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर के माध्यम से आवश्यक मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे।

(18) नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग को निदेशित किया गया कि प्रतिदिन FST, SST, SHO एवं CO से वार्ता करेंगे तथा जाँच के क्रम में आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज प्राथमिकी की सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निदेशित किया गया कि आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला मीडिया के माध्यम से भी प्राप्त होता है तो तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही दर्ज प्राथमिकी की प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त कर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(19) अभ्यर्थी व्यय कोषांग के कार्यो की समीक्षा की गई। नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय कोषांग को निदेशित किया गया कि बैंकर्स के साथ बैठक कर उन्हें अवगत करा देंगे कि यदि उनके स्तर कैश ए0टी0एम0 अदि में रखे जाने हेतु भेजे जा रहे हो तो उसका प्रमाण–पत्र कैश ले जाने वाले को देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैंकर्स को निदेशित किया गया कि 10.00 लाख से अधिक रुपये का अदान–प्रदान हो रहा हो तो संबंधित बैंक इसकी सूचना अभ्यर्थी व्यय कोषांग को देना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में बताया गया कि जाँच/छापेमारी के क्रम में जो कैश जब्त होते है उसे कोषागार में रखा जाएगा, जिसे नोडल पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर संबंधित समिति के अनुशंसा के आलोक में जब्त राशि विमुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

वरीय पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय कोषांग को निदेशित किया गया कि राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया एकाउन्ट पर हो रहे गतिविधियों पर नजर रखेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(20) उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं नजारत उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि जिला निर्वाचन प्रबंधन प्लान दिनांक 04.10.2020 को दोपहर तक तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।

(21) प्रेक्षक कोषांग के कार्यो की समीक्षा की गई। दिनांक 07.10.2020 को प्रेक्षकगण के आने की संभावना है। नजारत उप समाहर्त्ता को प्रेक्षकगण हेतु कार्यालय परिचारियों की प्रतिनियुक्ति कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को अतिथिगृह से संबंधित सभी कार्यो को अविलम्ब पूर्ण कराने

के साथ–साथ मुख्यगेट पर सुरक्षा प्रहरियों हेतु शेड बनाये जाने का निदेश दिया गया। नजारत उप समाहर्त्ता को अतिथि गृह, बक्सर में अनाधिकृत प्रवेश निषेध करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(22) नोडल पदाधिकारी, विधि–व्यवस्था कोषांग को निदेशित किया गया कि प्रतिदिन निर्धारित समय पर विधि–व्यवस्था का प्रतिवेदन भेजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विधि–व्यवस्था के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा के माध्यम से दूरभाष पर थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(23) नोडल पदाधिकारी, SVEEP कोषांग को निदेशित किया गया कि SVEEP कार्यक्रमों में अधिक–से–अधिक जन सामान्य की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही SVEEP कार्यक्रमों की सूचना एवं फोटोग्राफ मीडिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(24) नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेशित किया गया कि DPO,MDM & DPO ICDS के साथ समन्वय बैठक कर मतदान दलों हेतु भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिए रसोईयो एवं आंगनबाड़ी सहायिका की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन से सम्पर्क कर कोविड–19 से सुरक्षा संबंधित मेडिकल किट पर्याप्त संख्या में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(25) नोडल पदाधिकारी, बज्रगृह कोषांग को बज्रगृह के पास महिला एवं पुरूष के लिए अलग–अलग प्रतीक्षा कक्ष बनाये जाने एवं उसमें आवश्यक व्यवस्था के साथ–साथ टी0वी0 आदि लगाये जाने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला मतदान दलों हेतु अलग से EVM प्राप्ति हेतु काउन्टर बनाये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही महिला एवं पुरूष महिला मतदानदल के लिए रात्रि विश्राम हेतु भी बज्रगृह कोषांग के पास आवश्यक व्यवस्था कराये जाने का निदेश दिया गया। इस हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दो गोदाम को खाली करा कर आवश्यक व्यवस्था कराये जाने का निदेश दिया गया।

बज्रगृह के सामने किचड़ होने एवं पानी नहीं निकलने की समस्या बताया गयी। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर को आवश्यक व्यवस्था किये जाने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को बज्रगृह की आवश्यक मरम्मति, बैरिकेडिंग, रंग–रोगन एवं मार्किंग कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर को बज्रगृह परिसर एवं गोदाम की साफ–सफाई एवं सेनेटाईज कराये जाने का निदेश दिया गया।

(26) महिला मतदान कर्मियों को उनके घर तक पहुँचाये जाने हेतु वाहन की व्यवस्था जिला परिवहन पदाधिकारी करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कराये जाने हेतु नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कल्याण कोषांग को निदेशित किया गया।

(27) जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी को जिला नियंत्रण कक्ष अविलम्ब चालू कराये जाने का एवं हंटिंग लाईन की व्यवस्था कराये जाने का निदेश दिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी को मतदान की तिथि के लिए भी जिला नियंत्रण कक्ष हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कराने एवं प्रशिक्षण कराये जाने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, बक्सर।

ज्ञापांक 07-1255 /निर्वा0 दिनांक 04/10/2020

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी थानाध्यक्ष/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर/सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, बक्सर जिला/सभी निर्वाची पदाधिकारी, बक्सर जिला/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमरांव/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर/सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, बक्सर/उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, बक्सर।